

**फा. सं. 1/22(05)/2018-भ.III**

**संघ लोक सेवा आयोग**

**भ-III अनुभाग**

पद का नाम	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कला महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर(पेंटिंग) के 03(अना.-03) पद।
विज्ञापन सं.	11/2018
रिक्ति सं.	18061113309
लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	शै.यो.-क[(i) + (ii)] + शै.यो.-ख
अपनाए गए मापदंड	<p>(i) आवेदनों की प्रारंभिक संवीक्षा, पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के अनुसार की गई है।</p> <p>(ii) अनुभव प्रमाण पत्र विहित प्रारूप में होने चाहिए। तथापि, जहां कहीं भी आवेदकों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र विहित प्रारूप में जमा नहीं किए गए हैं, वहां उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है।</p> <p>(iii) उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक आधार पर, आगंतुक/अतिथि संकाय/क्लॉक आवर आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि पर, मान्य अनुभव की गणना करने हेतु विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(iv) संगत क्षेत्र में संविदा/ तदर्थ आधार पर प्राप्त अनुभव पर विचार किया गया है।</p> <p>(v) कालेज स्तर पर लेक्चरर/ सहायक प्रोफेसर के तौर पर अध्यापन के अनुभव को संगत क्षेत्र का अनुभव माना गया है।</p> <p>(vi) डिप्लोमा संस्थान में लेक्चरर/ सहायक प्रोफेसर के तौर पर अध्यापन के अनुभव को संगत क्षेत्र का अनुभव माना गया है।</p> <p>(vii) शोध/उद्योग जगत में प्राप्त अनुभव को संगत नहीं माना गया है।</p> <p>(viii) नियुक्ति प्रस्ताव/ नियुक्ति पत्र/ कार्यालय आदेश/ स्थायीकरण पत्र/ अनुमोदन पत्र पर अनुभव प्रमाण पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(ix) जहां अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित संगठन द्वारा जारी किया गया है वहां यह</p>

	<p>बाध्यता नहीं है कि जारीकर्ता प्राधिकारी विभाग प्रमुख ही हो।</p> <p>(x) नाम की वर्तनी में अंतर/नाम में परिवर्तन के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।</p> <p>(xi) आवेदन पत्र में, उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित वचनबंध को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता को सूचित करने संबंधी वचनबंध पर, जहां कहीं भी लागू हो, विशेष तौर पर बल नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(xii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p>	
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	शून्य	
लघु सूचीबद्ध नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	एलईक्यू	1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 व 60
	अपूर्ण आवेदन	06, 11, 14, 23, 26, 42 व 61
	डुप्लीकेट	3, 8, 19, 30 व 35

भर्ती के संबंध में कार्रवाई प्रारंभिक संवीक्षा के चरण में ही निष्फल रही है।

परामर्शदाता/उप सचिव (भ.-III)

संकेतक:

एलईक्यू : शैक्षणिक योग्यता में कमी